

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष—0124—2322057

क्रमांक: ४३३
सेवा में,

दिनांक: २८/६/२२

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सी-१८, वन भवन, सैकटर-६,
पंचकूला, हरियाणा।


विषय:— **Diversion of 0.4760 Ha. of forest land for laying of water pipeline for clear water from Basunda Booster to Daboda, Basunda Booster to Khandewla, Khandewla to Jatola, Fazilpur Badli to Tajnagar, Faridpur to Dhani Ahiran via Karola & Farrukhnagar road to Garhi Nathe Khan,, under Forest Division & Distt. Gurugram. (Proposal No. FP/HR/Water/144418/2021)**

सन्दर्भ:— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक 9-HRB180/2021-CHA दिनांक 14.03.2022

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भाकित पत्र द्वारा मांगी गई सूचना मद वाईज निम्न प्रकार से है:—

- प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आनलाईन पोर्टल में ऐरिया संशोधित कर दिया गया है, पार्ट-१ की प्रति पत्र के साथ आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।
- प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा अधिकृत पत्र जो कि कॉलम संख्या-A-3(vii) में ऐरिया संशोधित करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाकर आनलाईन पार्ट-१ में अपलोड कर दिया गया है।
- मद संख्या ३ की सूचना पत्र के साथ सलंगन है।
- प्रस्तावित डाईवर्ट ऐरिया की संशोधित केंद्रमोड़ल पत्र के साथ सलंगन है तथा सी०ए० साईट की संशोधित केंद्रमोड़ल तथा डी०जी०पी०एस० पोर्टल पर अपलोड कर दिये गए हैं।


संलग्न/उपरोक्त


उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

पृ० क्रमांक /

दिनांक /

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम को सूचनार्थ प्रेषित है।


उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।